न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1976–एक / 2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 25–06–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमच, जिला–नीमच द्वारा प्रकरण कमांक 108 / अ–6 / 2011–12

1– मोहनलाल पिता हंसराज रावत मीणा,
निवासी–मीणा मौहल्ला नीमच सिटी तह0,
जिला–नीमच
2– इन्दुबाई पिता हंसराज रावत मीणा,
निवासी–मीणा मौहल्ला नीमच सिटी तह0,
जिला–नीमच, हा0मु0–गादोला तह0
निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तोड़गढ राज0
दोनों वारीसान मृतक जशोदाबाई पति हंसराज रावत मीणा,
निवासी–मीणा मोहल्ला, नीमच सिटी तह0 जिला–नीमच

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– लालीबाई पति स्व0 प्यारेलाल रावत मीणा,
उर्फ प्रेमबाई पति नानुराम रावत मीणा,
निवासी–बड़े तालाब के पास झुग्गी झोपड़ी बस्ती,
मनासा–नीमच रोड़ मनासा, तह0 मनासा,
जिला–नीमच, म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नीमच, जिला–नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

विपरीत होकर विपक्षी का नाम प्रेमबाई पति नानुराम होते हुए भी अपने आप को मृतक प्यारेलाल की सम्पत्ति हड़पने के लिए विधवा पत्नी लालीबाई बताते सारी कार्यवाहियां प्रचलित की जा रही हैं जबकि मृतक प्यारेलाल की पत्नी लालीबाई उर्फ लाभूबाई का देहांत वर्ष 1970 में हो चुका है जिनकी एकमात्र पुत्री जशोदाबाई निगरानीकर्ता की माता रही है, जिसकी ओर से भी इस प्रकरण में नामांतरण आवेदन पेश किया है, इसके अलावा मृतक प्यारेलाल का कोई वारिस नहीं रहा है और विपक्षी ने मृतक प्यारेलाल के साथ कभी भी विवाह किया नहीं है और न ही उसके द्वारा पूर्व पति नानुराम से तलाक लिया है और न ही उसके द्वारा ऐसा किसी प्रकार का दस्तावेज आवेदन के साथ पेश किया है । आवेदकगण के अधिवक्ता ने लिखित तर्क में यह कहा है कि मृतक प्यारेलाल के स्थान पर नामांतरण मात्र वैध स्वत्व रखने वाले का ही किया जा सकता है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है और मृतक प्यारेलाल की सेवा पुस्तिका से प्राप्त किये गये प्रमाणित दस्तावेजों में आपस में विरोधाभास है और मात्र तैयार किये गये दस्तावेजों के आधार पर किसी भी प्रकार का स्वत्व अर्जित नहीं होते हुए उभय पक्षों का मृतक प्यारेलाल से विधिक संबंधों के बारे में हिन्दू विवाह अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत उपधारणा नहीं मानी जा सकती है इसी प्रकार संहिता की धारा 164 हिन्दू धर्म को मानने वाले होने से हिन्दू विधि पक्षकारों पर लागू है । विपक्षी द्वारा पूर्व प्रचलित कार्यवाही को छिपाकर आवेदन में कानूनी जानकारी नहीं होने एवं अनपढ़ होने का झूठा कथन कर मृतक प्यारेलाल की पुत्री जशोदाबाई का उल्लेख नॉमिनेशन फार्म में होते हुए भी झूठा शपथ पत्र मृतक प्यारेलाल के कोई संतान व वारिस नहीं होना बताने का प्रयास करते मात्र स्वयं के नाम से नामांतरण कार्यवाही पेश की जो अपने आप में शंकास्पद होकर उक्त तथ्यों को लेकर वैध स्वत्व, अधिकार उत्तराधिकार की घोषणा वास्ते पूर्व से सिविल वाद लंबित होकर विपक्षीया द्वारा पूर्व में तामिल होने से बचने का प्रयास किया किन्तु वर्तमान में उसके द्वारा सुनवाई में भाग लिया जा रहा है । उक्त तथ्यों को देखते हुए इनता पुराना नामांतरण एक दूसरे के विपरीत दस्तावेज विपक्षी द्वारा पूर्व पति का तलाकनामा व मृतक प्यारेलाल के साथ विवाह प्रमाण पत्र रिकार्ड पर नहीं है । इन सब तथ्यों का निर्णय करने की अधिकारिता मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है और अधीनस्थ न्यायालय को नामांतरण कार्यवाही में संक्षिप्त जांच करना होती है और उभयपक्षों का मामला संक्षिप्त जांच में निराकरण होना संभव नहीं होने से न्याय प्राप्त की संभावना नहीं होने से सिविल न्यायालय

5. आवेदक क्रमांक 2 शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । आवेदक ने यह निगरानी तहसीलदार द्वारा उसके वाद लंबित होने को देखते हुये नामान्तरण की कार्यवाही को स्थगित करने के आवेदन को निरस्त करने के अंतरिम आदेश को विरूद्ध की गई है । आवेदक ने अपने तर्कों में जो भी बिन्दु उठाये हैं वह मूलतः गुणदोषों पर प्रकरण के निराकरण के बारे में है जिन पर इस निगरानी में विचार करने औचित्य नही है तथा इन बिन्दुओं को तहसीलदार के समक्ष उठाने का अवसर उसे उपलब्ध है । प्रकरण में आवेदक ने ऐसा कोई आदेश या प्रमाण पेश नहीं किया है कि सिविल न्यायालय से उसे कोई स्थगन प्राप्त हुआ है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा मात्र इस आधार पर कि सिविल वाद प्रचलित है नामान्तरण की कार्यवाही को न रोक कर कोई त्रुटि नहीं की है

7. अतः इस निगरानी में कोई बल नहीं होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर